SBI

भारतीय स्टेट बैंक

केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग
कोर्पोरेट केंद्र, मुंबई

(फोन: 022-2282 0427; ईमेल: crpd@sbi.co.in)

HR AWARDS & ACCOLADES

ET HUMAN CAPITAL AWARDS

- HR Leader of the Year – Large Scale Organization
- Excellence in Business Continuity Planning & Management
- Most Valuable Employer during COVID 19

MARKSMEN DAILY AWARDS

- Most Preferred Workplace 2023-24

GREENTECH HR AWARDS 2023

- Transformative HR Practices Award
- Employee Engagement Award
- Learning & Development Award
- Compensation & Benefits Award

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण
विज्ञापन क्रमांक: सीआरपीडी/एपीपीआर/2023-24/17
आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण: 01.09.2023 से 21.09.2023 तक
ऑनलाइन परीक्षा: संभावित रूप से अक्टूबर/नवंबर 2023 में

प्रशिक्षु अधिनियम 1961 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत प्रशिक्षुओं के रूप में प्रशिक्षण हेतु भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं.

1. **उम्मीदवार केवल एक राज्य में प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस प्रशिक्षण परियोजना के तहत उम्मीदवार केवल एक बार परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं.**
2. पंजीकरण की प्रकिया तभी पूरी होगी जब बैंक में ऑनलाइन माध्यम से शुल्क का भुगतान अंतिम तिथि को या उससे पहले कर दिया गया हो.
3. आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पात्रता की तिथि पर प्रशिक्षण के लिए दिए गए योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं.
4. इस कार्यालय को आवेदन एवं अन्य दस्तावेजों की कागजी प्रतियाँ न भेजें.
5. उम्मीदवारों से निम्नलिखित वेबसाइट **https://nsdcindia.org/apprenticeship** या **https://apprenticeshipindia.org** या **http://bfsissc.com** या **https://bank.sbi/careers** या **https://www.sbi.co.in/careers** पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का अनुरोध किया जाता है.
6. **सभी संशोधन/शुद्धि पत्र (यदि कोई) बैंक की उपर्युक्त वेबसाइटों पर ही अपलोड किया जाएगा.**

ए. **प्रशिक्षण सीटें:** प्रशिक्षुओं की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार सीटें, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वार स्थानीय भाषाएँ, जिलेवार प्रशिक्षण सीटें, आयु, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षण वृत्तिका (स्टाइपेंड), चयन प्रक्रिया, परीक्षा केंद्र, शुल्क और अन्य संबंधित मानदंड नीचे दिए गए हैं:

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय भाषा और प्रशिक्षण सीटों की संभावित संख्या:

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	भाषा*	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	यूआर	कुल**	पीडब्ल्यूबीडी			
								वीआई	एचआई	एलडी	डी और ई
गुजरात	गुजराती	20	43	78	29	121	291	3	3	3	3
आंध्र प्रदेश	तेलुगू/उर्दू	62	27	105	39	157	390	4	4	4	4
कर्नाटक	कन्नड़	28	12	47	17	71	175	2	2	2	1
छत्तीसगढ़	हिंदी	11	31	5	9	43	99	1	1	1	1
मध्य प्रदेश	हिंदी	44	59	44	29	122	298	3	3	3	3
ओड़िशा	ओड़िया	32	45	24	20	84	205	3	2	2	2
यूटी लद्दाख	लद्दाखी/उर्दू/भोटी	0	1	2	1	6	10	1	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	हिंदी	50	08	40	20	82	200	2	2	2	2
यूटी चंडीगढ़	हिंदी/पंजाबी	4	0	6	2	13	25	1	0	0	0
पंजाब	पंजाबी/हिंदी	105	0	76	36	148	365	4	4	4	3
यूटी जम्मू और कश्मीर	उर्दू/हिंदी	8	11	27	10	44	100	1	1	1	1
हरियाणा	हिंदी/पंजाबी	28	0	40	15	67	150	2	2	1	1
यूटी पॉन्डिचेरी	तमिल	4	0	7	2	13	26	1	1	0	0
तमिलनाडु	तमिल	123	6	174	64	281	648	7	7	6	6
अरुणाचल प्रदेश	अंग्रेजी	0	9	0	2	9	20	1	0	0	0
नागालैंड	अंग्रेजी	0	9	0	2	10	21	1	0	0	0
मेघालय	अंग्रेजी/गारो/खासी	0	13	1	3	14	31	1	1	0	0
त्रिपुरा	बंगाली/कोकबोरोक	3	6	0	2	11	22	1	0	0	0
असम	आसामी/बंगाली/बोडो	8	14	32	12	55	121	2	1	1	1
मिजोरम	मिजो	0	7	0	1	9	17	1	0	0	0
मणिपुर	मणिपुरी/अंग्रेजी	0	6	2	2	10	20	1	0	0	0
तेलंगाना	तेलुगू/उर्दू	20	8	33	12	52	125	2	1	1	1
राजस्थान	हिंदी	157	120	185	92	371	925	10	9	9	9
पश्चिम बंगाल	बंगाली/नेपाली	75	16	72	32	133	328	4	4	3	3
यूटी अंड. और निको. द्वीप	हिंदी/अंग्रेजी	0	0	2	0	6	8	1	0	0	0
सिक्किम	नेपाली/अंग्रेजी	0	2	2	1	5	10	1	0	0	0
उत्तर प्रदेश	हिंदी/उर्दू	86	3	110	40	173	412	5	4	4	4
महाराष्ट्र	मराठी	46	41	125	46	208	466	6	5	5	4
गोवा	कोंकणी	0	3	4	2	17	26	1	1	0	0
उत्तराखंड	हिंदी	22	3	16	12	72	125	2	1	1	1
बिहार	हिंदी/उर्दू	8	0	13	5	24	50	1	1	0	0
झारखण्ड	हिंदी/संथाली	3	7	3	2	12	27	1	1	0	0
केरल	मलयालम	42	4	114	42	222	424	5	4	4	4
कुल		**989**	**514**	**1389**	**603**	**2665**	**6160**	**82**	**65**	**57**	**54**

* उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के समय अपने चयनित राज्य की एक निर्दिष्ट स्थानीय भाषा का चयन करना होगा.

** उपर्युक्त प्रशिक्षण सीटों की संख्या अस्थाई है और बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है.

संकेताक्षरों का पूरा रूप है: अ.जा. – अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. – अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व. – अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; यूआर – अनारक्षित श्रेणी; एलडी – लोकोमोटर दिव्यांगता; वीआई – दृष्टि बाधित, एचआई – श्रवण बाधित, डी और ई – में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34(1) के खंड डी और ई में उल्लिखित पीडब्ल्यूबीडी शामिल हैं, अर्थात आटिज्म, विशिष्ट शिक्षण विकार, मानसिक बीमारी और बहु विकलांगता शामिल है. विभिन्न श्रेणियों के तहत आरक्षण प्रचलित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा.

आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019-ईएसटीटी (आरईएस) दिनांकित 31.10.2019 द्वारा नियंत्रित है.

अस्वीकरण: ''ईडब्ल्यूएस प्रशिक्षण सीट संभावित हैं और भारत सरकार के आगे के निर्देशों और किसी भी मुकदमे के परिणामों के अधीन हैं. प्रशिक्षण सीट संभावित है और उचित चैनलों के माध्यम से सत्यापित किए जाने वाले आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र के अधीन है.'' ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने पर लिया जा सकता है.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि यदि उनके पास ऑनलाइन आवेदन के बंद होने की तारीख को या उसके पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए ''आय और संपत्ति प्रमाण'' पत्र नहीं हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को ''सामान्य'' (जनरल) श्रेणी के तहत ही आवेदन करना चाहिए.

ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित प्रशिक्षण सीटें ''गैर-क्रीमी लेयर'' के ओबीसी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं. ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार जो ''क्रीमी लेयर'' में आते हैं, ओबीसी श्रेणी के लिए उपलब्ध किसी छूट/आरक्षण के हकदार नहीं होंगे. उन्हें अपनी श्रेणी सामान्य अथवा सामान्य (एलडी/वीआई/एचआई/डी और ई), जो भी लागू हो, दर्शानी होगी. ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें ''गैर-क्रीमी लेयर'' खंड हो और बैंक में नियुक्ति की स्थिति में 01.04.2023 से प्रशिक्षण की तिथि के बीच जारी किया हुआ हो.

सीटों की संख्या का जिलेवार ब्यौरा निम्नानुसार है, जहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा: (उम्मीदवारों को पंजीकरण के समय आवेदित राज्य के किन्हीं भी तीन पसंदीदा जिलों को चुनने का विकल्प दिया जाएगा. चयनित राज्य के किसी भी जिले में पंजीकरण के समय उम्मीदवार द्वारा प्रशिक्षण सीट का चयन करने मात्र से उस जिले के लिए अंतिम चयन का कोई अधिकार नहीं हो जाता है और बैंक प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार और अपने विवेक पर उसे आवंटित करेगा.) **बैंक प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार चयनित राज्य के किसी भी जिले में प्रशिक्षण सीट आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:**

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कुल सीटें	जिलेवार प्रशिक्षण सीटें
गुजरात	291	अहमदाबाद-60, अमरेली-9, आनंद-8, अरावली-3, बनासकांठा-7, वड़ोदरा-26, सूरत-20, भरूच-7, भावनगर-18, बोटाड-2, छोटा उदयपुर-3, दाहोद-3, डांग-1, देवभूमि द्वारका-3, गांधीनगर-14, गिर सोमनाथ-6, जामनगर-7, जूनागढ़-10, खेड़ा-6, कच्छ-8, महिसागर-2, मेहसाणा-6, मोरबी-6, नर्मदा-2, नवसारी-6, पंचमहल-4, पाटन-3, पोरबंदर-4, राजकोट-18, साबरकांठा-4, सुरेंद्रनगर-7, तापी-2, वलसाड-6.
आंध्र प्रदेश	390	अल्लूरी सीतारामा राजू-15, अनकापल्ली-15, अनंतपुर-15, अन्नमय-15, बापटला-15, चित्तूर-15, ईस्ट गोदावरी-15, एलुरु-15, गुंटूर-15, काकीनाडा-15, कोनसीमा-15, कृष्णा-15, करनूल-15, नंद्याल-15, एनटीआर-15, पलनाडु-15, पार्वतीपुरम मान्यम-15, प्रकाशम-15, एसपीएसआर नेल्लोर-15, श्रीकाकुलम-15, श्री सत्य साई-15, तिरुपति-15, विशाखपट्टनम-15, विजयनगरम -15, वेस्ट गोदावरी-15, वाईएसआर-15.
कर्नाटक	175	बागलकोट-6, बेल्लारी-9, बेलगावी-8, बैंगलोर रूरल-2, बैंगलोर अर्बन-3, बीदर-8, चामराजनगर-7, चिकमंगलूरु-4, चिकबल्लापुर-5, चित्रदुर्गा-3, दक्षिण कन्नड़-6, दावणगेरे-6, धारवाड़-3, गदग-3, हसन-8, हावेरी-4, कलबुर्गी-8, कोडागु-1, कोलार-4, कोप्पल-6, मंड्या-10, मैसूरु-8, रायचूर-8, रामनगरम-4, शिमोगा-6, तुमकुर-18, उडुपी-3, उत्तर कन्नडा-5, विजयपुरा-4, यादगीर-5.
मध्य प्रदेश	298	भोपाल-26, रायसेन-5, विदिशा-5, होशंगाबाद-6, सीहोर-5, देवास-4, शाजापुर-4, बैतूल-3, हरदा-4, छिंदवाड़ा-8, इंदौर-8, अलीराजपुर-2, बड़वानी-8, धार-8, बुरहानपुर-4, खंडवा-10, खरगोन-8, आगर-मालवा-5, उज्जैन-8, झाबुआ-4, रतलाम-10, मंदसौर-10, नीमच-8, ग्वालियर-10, भिंड-5, मुरैना-5, श्योपुर-4, छतरपुर-6, निवाड़ी-3, टीकमगढ़-4, गुना-6, राजगढ़-4, अशोकनगर-4, दातिया-4, शिवपुरी-6, दामोह-6, पन्ना-5, जबलपुर-10, बालाघाट-3, मंडला-4, सिवनी-4, अनुपपुर- 3, डिंडोरी-3, शहडोल-4, उमरिया-2, कटनी-5, सतना-5, नरसिंहपुर-4, सागर-5, रीवा-5, सीधी-3, सिंगरौली-3.
छत्तीसगढ़	99	बिलासपुर-5, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-4, मुंगेली-4, जांजगीर-चांपा-5, कोरबा-6, जशपुर-5, रायगढ़-6, मनेंद्र-चिरमिरी-2, बलरामपुर-2, कोरिया-2, सूरजपुर- 2, सरगुजा-2, बलौदाबाजार-3, बेमेतरा-3, कवर्धा-3, महासुमुंद-3, रायपुर-4, दुर्ग-4, राजनांदगांव-3, बस्तर-3, बीजापुर-4, दंतेवाड़ा-3, नारायणपुर-4, सुकमा-3, बालोद-3, धमतरी-2, गरियाबंद-3, कांकेर-2, कोंडागांव-4.
ओडिशा	205	अनुगुल-6, बालासोर-8, बरगढ़-7, भद्रक-3, बलांगीर-7, बौध-2, कटक-14, देवगढ़-1, ढेंकानाल-4, गजपति-2, गंजम-17, जगतसिंहपुर-3, जाजपुर-7, झारसुगुड़ा-5, कालाहांडी-7, केंद्रपाड़ा-4, क्योंझर-5, खोरधा-40, कोरापुट-5, मालकानगिरी-1, मयूरभंज-7, नवापारा-3, नयागढ़-2, नबरंगपुर-2, फूलबनी-5, पुरी-5, रायगड़ा-5, संबलपुर-10, सोनपुर-2, सुंदरगढ़-16.
हरियाणा	150	फ़रीदाबाद-11, गुड़गांव-21, मेवात-3, पलवल-2, सोनीपत-13. अंबाला-6, भिवानी-3, चरखी दादरी-2, फ़तेहाबाद-10, हिसार-10, झज्जर-5, जींद-7, कैथल-6, करनाल-7, कुरुक्षेत्र-5, मोहिंदरगढ़-6, पंचकुला-5, पानीपत-5, रेवाडी-2, रोहतक-6, सिरसा-9, यमुनानगर-6.
हिमाचल प्रदेश	200	बिलासपुर-12, चंबा-12, हमीरपुर-12, कांगड़ा-36, किन्नौर-6, कुल्लू-14, लाहौल और स्पीति-6, मंडी-16, शिमला-28, सिरमौर-18, सोलन-30, ऊना-10.
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	100	अनन्तनाग-5, बड़गाम-7, बांदीपुर-2, बारामूला-9, डोडा-8, गान्दरबल-2, जम्मू-9, कठुआ-9, किश्तवाड़-2, कुलगाम-2, कुपवाड़ा-5, पुंछ-2, पुलवामा-5, राजौरी-6, रामबन-4, रियासी-6, सांबा-7, शुपियाँ-1, श्रीनगर-1, उधमपुर-8.
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	10	कारगिल-4, लेह-6.
पंजाब	365	अमृतसर-11, बरनाला-11, भटिंडा-32, फरीदकोट-11, फतेहगढ़ साहिब-15, फाजिल्का-11, फिरोजपुर-11, गुरदासपुर-15, होशियारपुर-19, जालंधर-21, कपूरथला-15, लुधियाना-25, मालेरकोटला-7, मनसा-15, मोगा-11, मोहाली-15, मुक्तसर-15, नवांशहर-11, पठानकोट-11, पटियाला-32, रोपड़-11, संगरूर-29, तरनतारन-11.
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़	25	यूटी चंडीगढ़-25
तमिलनाडु	648	अरियालुर-9, चेंगलपट्टू-21, चेन्नई-86, कोयम्बत्तूर-42, कडलूरु-11, धर्मपुरी-9, डिंडुक्कल-16, ईरोड-16, कल्लकुरिच्ची-9, कांचीपुरम-26, कन्याकुमरी-23, करूर-9, कृष्णगिरी-12, मदुरै-32, मयिलाडुतुरै-9, नागपट्टिनम-12, नामक्कल-9, पेरम्बलुर-9, पुदुकोट्टई-9, रामनाथपुरम-9, रानीपेट-9, सेलम-26, सिवगंगा-9, तेनकासी-9, तंजावूर-17, नीलगिरी-14, तेनी-14, तिरुवल्लूर-21, तिरुवारूर-9, तिरुचिरापल्ली-26, तिरुनेलवेली-17, तिरुपत्तूर-9, तिरुप्पूर-14, तिरुवन्नामलै-12, तूतीकोरिन-18, वेल्लोर-9, विलुपुरम-21, विरुदुनगर-16.
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी	26	पुदुचेरी-25, कारैकाल-3.
अरुणाचल प्रदेश	20	अंजाव-1, चेंगलॉन्ग-2, दिबांग घाटी/लोअर दिबांग घाटी-1, ईस्ट कामेंग/पक्के-केसांग-1, ईस्ट सियांग/वेस्ट सियांग/शि-योमि-2, कमले/लोअर सुबानसिरी-1, क्रा ददी/कुरुंग कुमेय-1, लेपा रद्दा/लोअर सियांग-1, लोहित/नमसाई-1, लोंगडिंग/तिरप-1, पापुम पारे-3, सियांग/अप्पर सियांग-1, तवांग-1, अप्पर सुबनसिरी-1, वेस्ट कामेंग-2.
असम	121	बक्सा-2, बारपेटा-5, बिस्वनाथ-2, बोंगाईगांव-3, कछार-8, चराइदेव-1, चिरांग-1, दरांग-1, धेमाजी-2, धुबरी-5, डिब्रूगढ़-10, डिमा हासाओ-2, गोलपारा-2, गोलाघाट-3, हाईलाकांन्दि-2, जोरहाट-7, कामरूप-5, कामरूप मेट्रो-19, कार्बी आंगलोंग-3, करीमगंज-2, कोकराझार-2, लखीमपुर-3, माजुली-1, मोरीगांव-1, नागांव -5, नलबाड़ी-3, शिवसागर-4, सोनितपुर-5, तिनसुकिया-6, उदलगुरी-2, पश्चिम कार्बी आंगलोंग-1

राज्य	कुल सीटें	जिलेवार प्रशिक्षण सीटें
मणिपुर	20	बिष्णुपुर–1, चंदेल–1, चुरचंदपुर–2, फेरजवाल–1, इम्फाल ईस्ट–2, जिरिबम–1, इम्फाल वेस्ट–2, ककचिंग–1, कांगपोकपी–1, सेनापति–1, नोने–1, तमेंगलोंग–1, टेंग्नौपाल–1, थोवल–2, उखरुल–1, कामजोंग–1.
मेघालय	31	ईस्ट गारो हिल्स–1, ईस्ट जैंतिया हिल्स–5, ईस्ट वेस्ट खासी हिल्स–1, ईस्ट खासी हिल्स–6, नॉर्थ गारो हिल्स–2, री भोई–5, साउथ गारो हिल्स–2, साउथ वेस्ट गारो हिल्स–1, साउथ वेस्ट खासी हिल्स–1, वेस्ट गारो हिल्स–4, वेस्ट जयंतिया हिल्स–2, वेस्ट खासी हिल्स–1.
मिजोराम	17	ऐज़वाल–8, चम्फाई–1, कोलासिब–1, लॉन्गतलाई–1, लुंगलेई–2, ममित–1, सइहा–1, सेरछिप–1, सइतुआल–1.
नागालैंड	21	दीमापुर–5, किफाइर–1, कोहिमा–4, लोंगलेंग–1, मोकोकचुंग–3, मोन–1, पेरेन–1, फेक–1, तुएनसांग–2, वोखा–1, जुनेबोटो–1.
त्रिपुरा	22	धलाई–2, गोमती–2, खोवाई–1, नॉर्थ त्रिपुरा–3, सिपाहीजाला–2, साउथ त्रिपुरा–3, उनाकोटि–1, पश्चिम त्रिपुरा–8.
तेलंगाना	125	आदिलाबाद–3, भद्राद्री कोठागुडेम–6, जगतियाल–2, जनगांव–3, जयशंकर–3, जोगुलम्बा–2, कामारेड्डी–4, करीमनगर–4, खम्मम–7, कोमारामभीम–2, महाबूबाबाद–3, महबूबनगर–9, मलकजगिरी–2, मंचेरियल–2, मेदक–4, नागरकुर्नूल–4, नालगोंडा–6, निर्मल–3, निजामाबाद–11, पेद्दापल्ली–3, रंगारेड्डी–6, संगारेड्डी–5, सिद्दीपेट–5, सिरसिला–2, सूर्यापेट–7, विकाराबाद–6, वनपर्थी–3, वारंगल–1, वारंगल ग्रामीण–3, यदाद्री भोंगीर–4.
राजस्थान	925	अजमेर–43, अलवर–41, बन्सवाड़ा–22, बारां–3, बाड़मेर–44, भरतपुर–20, भीलवाड़ा–12, बीकानेर–40, बूंदी–10, चित्तौड़गढ़–11, चूरू–20, दौसा–42, धौलपुर–18, श्री गंगानगर–40, हनुमानगढ़–30, जयपुर–175, जैसलमेर–19, जालोर–24, झालावाड़–3, झुंझुनू–38, जोधपुर–41, करौली–10, कोटा–21, नागौर–46, पाली–33, प्रतापगढ़–4, राजसमंद–10, सवाई माधोपुर–11, सीकर–37, सिरोही–15, टोंक–10, उदयपुर–10.
पश्चिम बंगाल	328	उत्तर 24 परगना–39, दक्षिण 24 परगना–22, अलीपुरद्वार–4, बांकुरा–11, बीरभूम–11, कलकत्ता–46, कूच बेहार–7, दक्षिण दिनाजपुर–4, दार्जिलिंग–10, हुगली–20, हावड़ा–16, जलपाईगुड़ी–7, झाड़ग्राम–5, कालिम्पोंग–2, मालदा–10, मुर्शिदाबाद–19, नादिया–16, पश्चिम बर्दवान–17, पश्चिम मिदनापुर–14, पूर्व बर्दवान–20, पूर्व मिदनापुर–14, पुरुलिया–8, उत्तर दिनाजपुर–6.
सिक्किम	10	पूर्व सिक्किम–4, उत्तर सिक्किम–2, दक्षिण सिक्किम–3, पश्चिम सिक्किम–1.
केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार	8	निकोबार–1, उत्तरी एवं मध्य अंडमान–2, दक्षिणी अंडमान–5
उत्तर प्रदेश	412	लखनऊ–44, लखीमपुर खेरी–4, सीतापुर–3, अयोद्या/फैजाबाद–4, बहराइच–2, बाराबन्की–4, गोन्दा–5, बलरामपुर–1, बरेली–12, पीलभीत–3, बदायू–5, फरुखाबाद–3, शाहजहांपुर–5, बिजनौर–6, भीमनगर (सम्भल)–2, रामपुर–4, ज्योतिबा फुले नगर (अमरोहा)–1, मुरादाबाद–7, प्रयागराज–15, फतेहपुर–4, कौशाम्बी–2, प्रतापगढ़–4, सुल्तानपुर–2, अमेठी–2, रायबरेली–5, बांदा–2, चित्रकूट–1, हमीरपुर–2, महोबा–1, कानपुर शहर–23, उन्नाव–3, जालौन–1, कानपुर देहात–3, औराया–1, इटावा–5, झांसी–6, ललितपुर–2, हरदोई–3, कन्नौज–2, वाराणसी–14, संत रविदास नगर(भदोही)–2, चंदौली–3, गाजीपुर–3, बलिया–5, मऊ–2, आजमगढ़–5, जौनपुर–5, मिर्जापुर–3, सोनभद्र–3, गोरखपुर–16, देवरिया–4, कुशीनगर–2, महाराजगंज–5, बस्ती–6, सिद्धार्थ नगर–3, अंबेडकर नगर–2, संत कबीरदास नगर–3, आगरा–16, फिरोजाबाद–5, मथुरा–11, कांशीराम नगर–3, हाथरस–4, इटा–4, मैनपुरी–3, बुलंदशहर–6, गौतम बुद्ध नगर–10, गाजियाबाद–12, अलीगढ़–9, मेरठ–13, हापुड़–3, मुजफ्फरनगर–10, सहारनपुर–10, बागपत–3, प्रभुध नगर–3.
महाराष्ट्र	466	अहमदनगर–11, अकोला–10, अमरावती–11, औरंगाबाद–13, बीड–11, भंडारा–10, बुलढाणा–10, चंद्रपुर–10, धुले–11, गढ़चिरौली–10, गोंदिया–10, हिंगोली–11, जलगाँव–11, जालना–11, कोल्हापुर–13, लातूर–11, नागपुर–13, नांदेड़–11, नंदुरबार–11, नासिक–13, उस्मानाबाद–11, परभणी–11, पुणे–15, रत्नागिरी–13, सांगली–13 सातारा–13, सिंधुदुर्ग–13, सोलापुर–13, वर्धा–10, वाशिम–10, यवतमाल–10. रायगढ़–78, ठाणे–24, पालघर–10.
गोवा	26	उत्तरी गोवा–13, दक्षिणी गोवा–13
उत्तराखंड	125	देहरादून–30, गढ़वाल–13, रुद्रप्रयाग–4, उत्तर काशी–5. हरिद्वार–14, टिहरी गढ़वाल–8, नैनीताल–10, अल्मोड़ा–12, चंपावत–3, पिथौरागढ़–8, बागेश्वर–3, चमोली–7, उधम सिंह नगर–8.
बिहार	50	अररिया–1, अरवल–1, औरंगाबाद–1, बांका–1, बेगूसराय–1, भागलपुर–2, भोजपुर–1, बक्सर–1, दरभंगा–2, पूर्वी चंपारण–2, गया–2, गोपालगंज–1, जमुई–1, जहानाबाद–1, कैमूर–2, कटिहार–2, खगड़िया–1, किशनगंज–1, लखीसराय–1, मधेपुरा–1, मधुबनी–1, मुंगेर–1, मुजफ्फरपुर–2, नालंदा–1, नवादा–1 , पटना–2, पूर्णिया–2, रोहतास–1, सहरसा–2, समस्तीपुर–1, सारण–1, शेखपुरा–1, शिवहर–1, सीतामढ़ी–2, सीवान–1, सुपौल–2, वैशाली–1, पश्चिम चंपारण–1.
झारखंड	27	बोकारो–2, चतरा–1, देवघर–1, धनबाद–2, दुमका–1, पूर्वी सिंहभूम–1, गढ़वा–1, गिरिडीह–1, गोड्डा–1, गुमला–1, हजारीबाग–1, जामताड़ा–1, खुंटी–1, कोडरमा–1, लातेहार–1, लोहरदगा–1, पाकुड़–1, पलामू–1, रामगढ़–1, रांची–2, साहिबगंज–1, सराइकेला–1, सिमडेगा–1, पश्चिमी सिंहभूम–1.
केरल	424	तिरुवनंतपुरम–73, कोल्लम–37, पतनमतिट्टा–22, अलापुजा–33, कोट्टायम–48, इडुक्की–8, एर्नाकुलम–54, त्रिशूर–35, पलक्कड़–38, मलप्पुरम–17, कोझीकोड–34, वायनाड़–8, कन्नूर–10, कासरगोड–7.

बी. आयु:

01.08.2023 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष अर्थात् उम्मीदवारों का जन्म 02.08.1995 के बाद और 01.08.2003 के पहले (दोनों दिनों सहित) होना चाहिए. इंगित अधिकतम आयु अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए है. एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट लागू है.

सी. बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षण:

विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण समग्र रिक्तियों के अंतर्गत है. विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान किया गया है. यह पद आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की अनुसूची में यथा परिभाषित मानदण्ड विकलांगता की निम्न श्रेणियों वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त अभिनिर्धारित किया गया है:

चलन संबंधी विकलांगता (एलडी), दृष्टिबाधित (वीआई), श्रवण बाधित (एचआई) और अन्य पीडब्ल्यूबीडी की 'डी' और 'ई' श्रेणियाँ: ''विशिष्ट अधिगम विकलांगता'' (एसएलडी), ''मानसिक रूग्णता'' (एमआई), ''ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर'' (एएसडी) और ''एकाधिक विकलांगताओं'' का आशय एलडी, वीआई, एचआई, एसएलडी, एमआई और एएसडी में कई विकलांगताओं से है.

ध्यान दें: जहां निर्दिष्ट विकलांगता की परिभाषा मापने योग्य शब्दों में न दी गई हो, वहां निर्दिष्ट 40% विकलांगता के साथ केवल ''बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति'' आरक्षण के लिए पात्र होंगे और इसमें प्रमाणित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित मापने योग्य शब्दों में परिभाषित निर्दिष्ट विकलांगता वाला व्यक्ति भी शामिल है.

जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसे आवेदन में निवास के प्रमाण पत्र में यथा उल्लेखित आवेदक के निवास के जिले के चिकित्सा प्राधिकारी या किसी अन्य अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी (प्रमाणनकर्ता प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप पर, नवीनतम विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि से पहले या उस पर प्रमाण पत्र दिनांकित होना चाहिए. ऐसा प्रमाणपत्र बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए गए सत्यापन/पुनः सत्यापन के अधीन होगा.

स्क्राइब का उपयोग और प्रतिपूरक समय:

ए) 40% या उससे अधिक की विकलांगता वाले व्यक्ति को स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी, यदि उस व्यक्ति द्वारा ऐसी माँग की जाती है और केवल उन्हीं विकलांग व्यक्तियों के लिए है, जिनकी गति की सीमा सहित लिखने की शारीरिक सीमा है. ऐसे सभी मामलों में जिसमें स्क्राइब का उपयोग किया जाएगा, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

- पात्र उम्मीदवार और जो परीक्षा में स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में सावधानीपूर्वक इसे इंगित करना चाहिए.
- उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों को ऑनलाइन परीक्षा के समय स्क्राइब की पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ निर्धारित प्रारूप में उपयुक्त वचन देना होगा.
- स्क्राइब का उपयोग करने के लिए पात्र उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के पात्र होंगे, चाहे स्क्राइब की सुविधा का लाभ ले रहे हों या नहीं.
- उम्मीदवार को अपनी लागत पर अपने स्वयं के स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी.
- जैसा कि ऊपर संदर्भित किया गया है, दिशा–निर्देशों के अनुसार स्क्राइब का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होने वाले किसी भी उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन परीक्षा में स्क्राइब का उपयोग करने पर, उसे प्रशिक्षु की प्रशिक्षण की प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए अपात्र कर दिया जाएगा.
- यदि यह पाया/रिपोर्ट किया गया कि स्क्राइब स्वयं (स्वतंत्र रूप से) पेपर हल कर रहा है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.
- उम्मीदवार द्वारा व्यवस्था किया गया स्क्राइब इस ऑनलाइन परीक्षा के लिए उम्मीदवार नहीं होना चाहिए. यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है.
- उम्मीदवार द्वारा व्यवस्था किया गया स्क्राइब उसी परीक्षा प्रक्रिया में किसी अन्य उम्मीदवार का स्क्राइब नहीं होना चाहिए. स्क्राइब की ऐसी उपस्थिति की स्थिति में, उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों की उम्मीदवारी प्रक्रिया के लिए रद्द कर दी जाएगी और स्क्राइब को भविष्य में एसबीआई परीक्षाओं के लिए स्क्राइब के रूप में उपस्थित होने से रोका जा सकता है.
- स्क्राइब का उपयोग कर रहे किसी भी उम्मीदवार को सुनिश्चित करना होगा कि वह उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा में स्क्राइब का उपयोग करने के लिए पात्र है.
- उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए स्क्राइब का उपयोग करने वाला कोई भी उम्मीदवार अपात्र हो जाएगा और उसे बिना किसी सूचना के प्रशिक्षुता से हटाया जा सकता है, यदि पहले से ही बैंक में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण ले रहा है/लिया है.
- जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार स्क्राइब का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, देखें, विकलांगता मामलों का विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का कार्यालय ज्ञापन एफ. सं.16-110/2003–डीडीआईआईआई, दिनांकित 26 फरवरी, 2013 और वित्तीय सेवाओं का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण, देखें, पत्र क्रमांक एफ.सं. 3/2/2013–कल्याण दिनांकित 26/04/2013.

बी) **स्क्राइब और प्रतिपूरक समय का उपयोग (40% से कम विकलांगता वाले व्यक्ति)** इसके अलावा भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय ज्ञापन एफ. संख्या .29-6/2019-डीडी–III दिनांक 10/08/2022 के संदर्भ में दिव्यांगजन उम्मीदवारों (जिनकी विकलांगता 40% या अधिक है) पर लागू निर्देशों के अलावा, स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा केवल दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2(एस) के तहत आने वाली विकलांगता वाले व्यक्तियों को लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं की गई हैं **(यानी 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति),** कठिनाई वाले लोगों के लिए लिखित रूप में दी जाएगी, बशर्ते कि i) इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि संबंधित व्यक्ति के पास लिखने की सीमा है और उक्त कार्यालय ज्ञापन की परिशिष्ट **I** (अनुलग्नक–II) में निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है. – यदि उम्मीदवार अपना स्क्राइब लाने का विकल्प चुनता है, तो स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक स्टेज कम होनी चाहिए. स्वयं के स्क्राइब का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारको उक्त कार्यालय ज्ञापन के परिशिष्ट–**II** में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार स्वयं के स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए. (अनुलग्नक–III)

डी. 01.08.2023 को शैक्षणिक योग्यता:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक

ई. प्रशिक्षण की अवधि:

प्रशिक्षण की अवधि केवल एक वर्ष है.

एफ. वृत्तिका/लाभ:

प्रशिक्षु एक वर्ष की नियुक्ति अवधि के लिए 15000/- रुपये प्रति माह के वृत्ति के लिए पात्र हैं. **प्रशिक्षु किसी अन्य भत्ते/लाभ के लिए पात्र नहीं हैं.**

जी. जूनियर एसोसिएट्स की भर्ती में भारांक/छूट:

कनिष्ठ सहयोगियों की भर्ती में प्रशिक्षुओं को समय–समय पर संशोधित बैंक की भर्ती नीति के अनुसार भारांक/छूट दी जाएगी. जूनियर एसोसिएट्स की भर्ती में भारांक/छूट उन प्रशिक्षुओं को दी जाएगी जिन्होंने हमारे बैंक में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और यह पूरी प्रशिक्षण अवधि के दौरान उम्मीदवार के संतोषजनक आचरण और प्रदर्शन के अधीन होगा. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के सफल समापन का तात्पर्य कौशल मूल्यांकन परीक्षा (व्यापार परीक्षण) उत्तीर्ण करना और एसबीआई–एनएसडीसी/बीएफएसआई–एसएससी द्वारा संयुक्त रूप से जारी संयुक्त राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र प्राप्त करना है.

एच. चयन प्रक्रिया:

प्रशिक्षुओं से नियुक्ति के लिए चयन **(i) ऑनलाइन लिखित परीक्षा और (ii) स्थानीय भाषा की परीक्षा के आधार पर होगा.**

i. ऑनलाइन लिखित परीक्षा:

ऑनलाइन लिखित परीक्षा (ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ प्रकार) की संरचना इस प्रकार होगी.

क्रमांक	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि	परीक्षा का माध्यम
1.	सामान्य/वित्तीय जागरूकता	25	25	15 मिनट	*
2.	सामान्य अंग्रेजी	25	25	15 मिनट	अंग्रेजी
3.	परिमाणात्मक अभिवृत्ति	25	25	15 मिनट	*
4.	तर्कशक्ति क्षमता एवं कंप्यूटर अभिवृत्ति	25	25	15 मिनट	*
	कुल	**100**	**100**	**60 मिनट**	

जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रत्येक परीक्षा के लिए पृथक समय होगा.

सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा को छोड़कर, लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न 13 क्षेत्रीय भाषाओं में सेट किए जाएंगे, अर्थात् नीचे दी गई तालिका के अनुसार अंग्रेजी और हिंदी भाषा के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू.

***आवेदित राज्य के अनुसार परीक्षा के माध्यम की सूची:**

क्र.	राज्य/यूटी	परीक्षा का माध्यम	क्र.	राज्य/यूटी	परीक्षा का माध्यम	क्र.	राज्य/यूटी	परीक्षा का माध्यम
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप	अंग्रेजी/हिंदी	12.	जम्मू एवं कश्मीर	अंग्रेजी/हिंदी/उर्दू	23.	ओड़िशा	अंग्रेजी/हिंदी/ओडिया
2.	आंध्र प्रदेश	अंग्रेजी/हिंदी/तेलुगू/उर्दू	13.	झारखण्ड	अंग्रेजी/हिंदी	24.	पॉन्डिचेरी	अंग्रेजी/हिंदी/तमिल
3.	अरुणाचल प्रदेश	अंग्रेजी/हिंदी	14.	कर्नाटक	अंग्रेजी/हिंदी/कन्नडा	25.	पंजाब	अंग्रेजी/हिंदी/पंजाबी
4.	असम	अंग्रेजी/हिंदी/आसामी/बंगाली	15.	केरल	अंग्रेजी/हिंदी/मलयालम	26.	राजस्थान	अंग्रेजी/हिंदी
5.	बिहार	अंग्रेजी/हिंदी	16.	लदाख	अंग्रेजी/हिंदी/उर्दू	27.	सिक्किम	अंग्रेजी/हिंदी
6.	चंडीगढ़	अंग्रेजी/हिंदी/पंजाबी	17.	मध्य प्रदेश	अंग्रेजी/हिंदी	28.	तमिलनाडु	अंग्रेजी/हिंदी/तमिल
7.	छत्तीसगढ़	अंग्रेजी/हिंदी	18.	महाराष्ट्र	अंग्रेजी/हिंदी/मराठी	29.	तेलंगाना	अंग्रेजी/हिंदी/तेलुगू/उर्दू
8.	गोवा	अंग्रेजी/हिंदी/कोंकणी	19.	मणिपुर	अंग्रेजी/हिंदी/मणिपुरी	30.	त्रिपुरा	अंग्रेजी/हिंदी
9.	गुजरात	अंग्रेजी/हिंदी/गुजराती	20.	मेघालय	अंग्रेजी/हिंदी	31.	उत्तर प्रदेश	अंग्रेजी/हिंदी/उर्दू
10.	हरियाणा	अंग्रेजी/हिंदी/पंजाबी	21.	मिजोरम	अंग्रेजी/हिंदी	32.	उत्तराखंड	अंग्रेजी/हिंदी
11.	हिमाचल प्रदेश	अंग्रेजी/हिंदी	22.	नागालैंड	अंग्रेजी/हिंदी	33.	पश्चिम बंगाल	अंग्रेजी/हिंदी/बंगाली

वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक होंगे. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न के लिए आबंटित अंक का 1/4 काटा जाएगा.

उम्मीदवारों को कुल अंकों में से न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है (एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 5% की छूट है). कुल अंक में से न्यूनतम योग्यता अंक बैंक द्वारा तय किया जाएगा. अलग–अलग विषयों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित नहीं हैं. मेरिट लिस्ट राज्यवार और श्रेणीवार निकाली जाएगी. परीक्षण में योग्य उम्मीदवारों को संबंधित राज्यों और श्रेणी में अवरोही क्रम में उनके कुल अंकों के अनुसार रखा जाएगा. यदि एक से अधिक उम्मीदवारों को समान अंक प्राप्त होते हैं जो कि मेरिट लिस्ट में कट ऑफ अंक हैं (कट ऑफ प्वाइन्ट पर समान अंक), तो ऐसे उम्मीदवारों को मेरिट में उनकी आयु के अवरोही क्रम में रखा जाएगा.

ध्यान दें: परीक्षा के संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी 'अपने आपको परिचित बनाएँ' ("Acquaint yourself booklet") पुस्तिका में दी जाएगी, जो परीक्षा के लिए आमंत्रण पत्र के साथ पात्र उम्मीदवारों को डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी.

ऑनलाइन परीक्षा अक्टूबर/नवंबर में (संभावित) आयोजित की जाएगी. परीक्षा केंद्रों की सूची निम्नानुसार है:

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	परीक्षा केंद्र	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	परीक्षा केंद्र
यूटी अण्डमान और निकोबार द्वीप	पोर्ट ब्लेयर	**मणिपुर**	इम्फाल
आंध्र प्रदेश	चिराला, गुंटुर, कडप्पा, काकीनाडा, कुर्नुल, राजमुंद्री, श्रीकाकुलम, तिरुपति, विजयवाडा, विशाखापट्नम, विजियनगरम	**मेघालय**	शिलांग
अरुणाचल प्रदेश	नाहरलगुन	**मिज़ोरम**	आइजवाल
असम	डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोराहट, सिलचर, तेजपुर	**नागालैंड**	कोहिमा
बिहार	आरा, औरंगाबाद (बिहार), भागलपुर, दरभंगा, गया, मुज़फ्फरपुर, पटना, पुर्णिया	**दिल्ली एनसीआर**	दिल्ली/दिल्ली एनसीआर (सभी एनसीआर शहर)
यूटी चंडीगढ़	चंडीगढ़ – मोहाली	**ओडिशा**	बालासोर, बरहमपुर (गंजम), भुवनेश्वर, कटक, देन्कानाल, राऊरकेला, संबलपुर
छत्तीसगढ़	भिलाई नगर, बिलासपुर, रायपुर	**यूटी पुडुचेरी**	पुडुचेरी
गोवा	पणजी	**पंजाब**	अमृतसर, भटिण्डा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पठाणकोट, पटियाला
गुजरात	अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर, मेहसाणा, राजकोट, सूरत, वडोदरा	**राजस्थान**	अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर
हरियाणा	अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम	**सिक्किम**	बर्दांग – गंगटोक
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला	**तमिलनाडु**	चेन्नई, कोयम्बतूर, ईरोड, मदुराई, नागरकोईल, सालेम, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेल्ली, वेल्लोर, विरुदुनगर
यूटी जम्मू और कश्मीर	जम्मू, सांबा, श्रीनगर	**तेलंगाना**	हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, वारंगल
झारखंड	बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची	**त्रिपुरा**	अगरतला
कर्नाटक	बेंगलुरू, बेलगाम, गुलबर्गा, हुबली – धारवाड, मंगलोर, मैसूर, शिमोगा, उडिपी	**उत्तर प्रदेश**	आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज (इलाहाबाद), बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुझफ्फरनगर, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, वाराणसी
केरल	अलप्पुझा, कन्नुर, कोचि, कोल्लाम, कोट्टायम, कोझिकोडे, मलप्पुरम, पालक्कड, तिरुवनंतपुरम, त्रिचूर	**उत्तराखंड**	देहरादून, हल्दवानी, रुड़की
यूटी लक्षद्वीप	कवराती	**पश्चिम बंगाल**	आसनसोल, दुर्गापुर, ग्रेटर कोलकाता, हुगली, कल्याणी, सिलिगुड़ी
मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, उज्जैन	**यूटी लदाख**	लेह
महाराष्ट्र	अमरावती, औरंगाबाद (छत्रपति संभाजी नगर), चंद्रपुर, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई/एमएमआर, नागपुर, नांदेड, नासिक, पुने, सोलापुर		

- उम्मीदवार को उस केंद्र का नाम चुनना चाहिए जहां वह परीक्षा देना चाहता/चाहती है. हालांकि, एसबीआई के पास, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर किसी भी परीक्षा केंद्र को निरस्त करने और/या अपने विवेकाधिकार से कुछ अन्य केंद्र जोड़ने का अधिकार सुरक्षित है. एसबीआई के पास उम्मीदवार को उसके द्वारा चुने गए केंद्र से भिन्न कोई भी अन्य केंद्र आवंटित करने का भी अधिकार सुरक्षित है.

  परीक्षा केंद्र में बदलाव का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा.
- उम्मीदवार अपने जोखिम और खर्च पर आवंटित केंद्र पर परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे और एसबीआई किसी भी प्रकार की चोट या हानियों आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा. कृपया ध्यान दें कि एसबीआई द्वारा किसी यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति/भुगतान नहीं किया जाएगा.
- परीक्षा के लिए उपस्थित होते समय उम्मीदवारों को अपने साथ उचित पहचान प्रमाण रखना होगा. यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के पहचान प्रमाण में कोई विसंगति है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- परीक्षा हॉल में किसी भी उच्छृंखल व्यवहार/दुर्व्यवहार का परिणाम उम्मीदवारीता का निरसन और एसबीआई द्वारा आयोजित की जाने वाली भविष्य की परीक्षा के लिए अपात्रता हो सकता है.
- **चयन के लिए अनंतिम रूप से अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के परिणाम बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे.**

ii. **स्थानीय भाषा की परीक्षा:**

राज्यों की विनिर्दिष्ट स्थानीय भाषाओं का विज्ञापन के पैरा ए उल्लेख में किया गया है. किसी विशेष राज्य की रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को विज्ञापन के पैरा ए में उल्लिखित उस राज्य की विनिर्दिष्ट स्थानीय भाषा में दक्ष (पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना) होना चाहिए. निर्दिष्ट स्थानीय भाषा के ज्ञान की परीक्षा चयन प्रक्रिया के भाग के रूप में आयोजित की जाएगी. ऑनलाइन लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यह परीक्षा आयोजित की जाएगी. जो उम्मीदवार इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे, उन्हें प्रशिक्षु नहीं चयनित किया जाएगा. निर्दिष्ट स्थानीय भाषा का अध्ययन करने का साक्ष्य देने वाला 10वीं या 12वीं कक्षा का अंकपत्र/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों के लिए भाषा की परीक्षा आवश्यक नहीं होगी. उम्मीदवारों को अपने स्वयं के खर्च पर, आवेदन किए गए राज्य के किसी केंद्र (बैंक द्वारा तय किया जाएगा) पर निर्दिष्ट स्थानीय भाषा की परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा, एसबीआई उक्त परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवार द्वारा किए गए किसी भी यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति या वहन नहीं करेगा.

iii. **चिकित्सा जांच:**

चयनित प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण बैंक की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त घोषित किए जाने के अधीन है.

अंतिम चयन के निम्नलिखित के अधीन किया जाएगा:

क) पद के लिए पात्रता और ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के सत्यापन.

ख) ऊपर वर्णित रूप में विनिर्दिष्ट चयनित स्थानीय भाषा, जहां लागू हो, की परीक्षा में योग्यता.

ग) चिकित्सा परीक्षा में फिट घोषित.

आई. प्रतीक्षा सूची:

प्रतीक्षा सूची (राज्य श्रेणीवार) प्रशिक्षु की प्रशिक्षण या अगली प्रशिक्षण प्रक्रिया, जो भी पहले हो, के परिणाम की तारीख से एक वर्ष के लिए प्रतीक्षा सूची रखी जाएगी. योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता के लिए कार्यग्रहण न करने वाले प्रशिक्षुओं के समक्ष इस प्रतीक्षा सूची से केवल एक बार उम्मीदवारों के नाम जारी किया जाएगा.

जे. कार्य की रूपरेखा: प्रशिक्षु. यह बैंक में रोजगार नहीं है. न ही यह संविदा रोजगार है. कृपया ध्यान दें कि **प्रशिक्षु के रूप में चयनित उम्मीदवारों को एसबीआई के कर्मचारी के रूप में नहीं माना जाएगा और वे बैंक के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध किसी भी लाभ को प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे.**

के. आवेदन शुल्क और सूचना प्रभारः (वापस न करने योग्य):

श्रेणी	शुल्क और सूचना प्रभार
सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्युएस	₹300/-
अजा/अजजा/पीडब्ल्यूबीडी	कोई शुल्क नही है.

शुल्क/सूचना प्रभार भुगतान करने पर न तो उसे वापस किया जाएगा और न ही उस राशि को अन्य किसी परीक्षा या अन्य चयन के लिए रोककर रखा जाएगा.

एल. सामान्य सूचना:

i) उम्मीदवारों को इससे पहले एसबीआई में या किसी अन्य संगठन में प्रशिक्षु नहीं रहा होना चाहिए या प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण नहीं लिया होना चाहिए. प्रशिक्षण अवधि/प्रशिक्षुता या नियुक्ति की अवधि 1 वर्ष होगी और छुट्टी, कामकाजी परिस्थितियों और छुट्टियों के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा.

ii) जिन उम्मीदवारों के पास शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद एक वर्ष या उससे अधिक अवधि का प्रशिक्षण या काम का अनुभव रहा है, प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए **पात्र नहीं होंगे.**

iii) किसी भी पूर्व सैनिक/विकलांग पूर्व सैनिक को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा और प्रशिक्षु नियुक्ति में पूर्व सैनिकों/विकलांग पूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है.

iv) **एसबीआई को प्रशिक्षुता अवधि के दौरान और/या के समापन के बाद प्रशिक्षुओं को नियमित रोजगार देने की कोई बाध्यता नहीं होगी. प्रशिक्षुता अवधि पूरी होने के बाद, उम्मीदवारों को संबंधित कार्य क्षेत्र से मुक्त कर दिया जाएगा.**

v) पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन की विधि, आंशिक या पूर्ण रूप से चयन प्रक्रिया निरस्त करने से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा. इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा. सीटें भरना पूरी तरह से उम्मीदवारों की उपयुक्तता के आधार पर बैंक का विवेकाधिकार है और यदि इनमें से कुछ सीटें उम्मीदवारों की अनुपयुक्तता/अपर्याप्त संख्या के कारण नहीं भरी हैं तो प्रशिक्षण पात्रता के लिए कोई दावा नहीं उत्पन्न होगा.

vi) अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन को पात्र नहीं माना जाएगा और अस्वीकृत माना जाएगा. इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.

vii) उम्मीदवारों को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी पात्रता के बारे में अपने आपको संतुष्ट कर लेना चाहिए. बैंक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर प्रशिक्षु के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए प्रवेश दिया जाएगा और दस्तावेज के सत्यापन के समय ही उनकी पात्रता का निर्धारण किया जाएगा. परीक्षाओं में प्रवेश दस्तावेजों के संदर्भ में उम्मीदवारों की आयु/योग्यता/श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी) आदि के सत्यापन के बिना विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा.

viii) उम्मीदवारों को उनके अपने स्वयं के हित में अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन करने और कनेक्शन कटने की संभावना/इंटरनेट पर भारी लोड या वेबसाइट जाम के कारण वेबसाइट पर लॉग इन करने में अक्षमता/विफलता से बचने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करने की सलाह दी जाती है.

ix) पूर्वोक्त कारणों से या एसबीआई के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाने वाले उम्मीदवारों के प्रति एसबीआई कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है.

x) एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन नहीं प्रस्तुत किया जाना चाहिए. एकाधिक आवेदनों की स्थिति में, केवल अंतिम वैध (पूर्ण) आवेदन मान्य होगा और अन्य पंजीकरण के लिए भुगतान किए गए आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क जब्त हो जाएंगे. परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा एकाधिक उपस्थिति/हाजिरी को सरासरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा/उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी.

xi) परीक्षा के आयोजन के समय कुछ समस्याओं के उत्पन्न होने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसका प्रभाव परीक्षा के आयोजन तथा/अथवा परिणामों पर भी पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में, ऐसी समस्या को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और ऐसे प्रयास में यदि आवश्यक हुआ, तो दूसरी परीक्षा का आयोजन करना शामिल है.

xii) उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने के बाद अपने सिस्टम से उत्पन्न ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने सलाह दी जाती है.

xiii) अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को यदि बैंक में कार्य–ग्रहण करने के लिए बुलाया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति–प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.

xiv) ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्रारूप में यह घोषणा करने वाला घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा कि पंजीकरण की अंतिम तिथि को वह क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है. 01.04.2023 से, उपयुक्त पाए जाने पर, प्रशिक्षु के रूप में पात्रता की तिथि के दौरान जारी किया गया 'गैर–क्रीमी लेयर' क्लाज ओबीसी प्रमाणपत्र नियुक्ति के समय जमा करना होगा.

xv) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी 'आय और संपत्ति प्रमाण पत्र' के प्रस्तुतीकरण पर प्राप्त किया जा सकता है.

xvi) पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में विकलांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए.

xvii) उम्मीदवारों को सूचना अर्थात काल लेटर/सूचना आदि प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकृत ई–मेल आईडी/मोबाइल सक्रिय रखने की सलाह दी जाती है.

xviii) चयनित उम्मीदवारों की पात्रता बैंक की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त घोषित होने के अधीन है और इस तरह की नियुक्ति बैंक के सभी प्रासंगिक नियमों/नीतियों/दिशानिर्देशों के अधीन होगी.

xix) इस विज्ञापन और/या इसकी अनुक्रिया में आवेदन से उत्पन्न होने वाले दावे या विवाद के किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही केवल मुंबई में की जा सकती है और मुंबई स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/मंचों को ऐसे वाद/विवाद निपटाने का एक मात्र तथा विशेष क्षेत्राधिकार रहेगा.

xx) उम्मीदवारों को अपने खर्च पर परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना होगा. एसबीआई ऐसे किसी भी खर्च का भुगतान या प्रतिपूर्ति नहीं करेगा.

xxi) चयनित प्रशिक्षुओं की नियुक्ति बैंक की केवाईई औपचारिकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के अधीन है.

xxii) आवेदन के अंतिम रूप से ऑनलाइन जमा करने के बाद डेटा में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं है.

xxiii) **सभी उम्मीदवारों (सिवाय उत्तर पूर्वी राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों के, जहाँ वैकल्पिक पहचान पत्र से काम चलेगा) को नियुक्ति से पहले अर्थात प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले आधार संख्या प्रस्तुत करना होगा.**

xxiv) **बैंक किसी भी चरण पर समस्त चयन प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.**

एम. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और किसी अन्य स्वरूप में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

क) आवेदन और शुल्क (फीस) का भुगतान के लिए दिशानिर्देश (केवल ऑनलाइन):

उम्मीदवारों को निम्नलिखित वेबसाइट https://nsdcindia.org/apprenticeship या https://apprenticeshipindia.org या http://bfsissc.com या https://bank.sbi/careers या https://www.sbi.co.in/careers – **Engagement of Apprentices in SBI** के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा.

सहायता केंद्र: फॉर्म भरने में किसी भी समस्या की स्थिति में, टेलीफोन नंबर 022-22820427 पर पूछताछ की जा सकती है (कार्यदिवस पर पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे के बीच) या http://cgrs.ibps.in पर अपनी पूछताछ दर्ज करवाई जा सकती है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ईमेल के विषय में **'Engagement of Apprentices in SBI'** का उल्लेख करना न भूलें.

ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्वापेक्षाएँ: उम्मीदवारों के पास वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए. जिसे परिणामों की घोषणा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए. इससे उन्हें ईमेल/एसएमएस द्वारा आमंत्रण पत्र/सूचना आदि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी.

i) जैसा कि फोटो, हस्ताक्षर और दस्तावेजों स्कैन करने के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत विस्तृत विवरण दिया गया है, उम्मीदवारों को सर्वप्रथम फोटो, हस्ताक्षर और दस्तावेजों स्कैन करना चाहिए **(अनुलग्नक-I).**

ii) उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi/careers या https://www.sbi.co.in/careers पर जाकर देखें और 'वर्तमान अवसरों' **('Current Openings')** में उपलब्ध उचित ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलें.

iii) आवेदन ध्यान से भरें. आवेदन पूरी तरह से भरे जाने के बाद, उम्मीदवारों को डेटा प्रस्तुत करना चाहिए. यदि उम्मीदवार एक बार में डेटा नहीं भर पाते हैं, तो पहले ही प्रविष्ट किए जा चुके डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं. डेटा सुरक्षित होने पर सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दिया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा. उम्मीदवारों को पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को लिख लेना चाहिए. आवश्यकता होने पर, पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके सहेजे गए डेटा को फिर से खोला जा सकता है और विवरण को संपादित किया जा सकता है. यह सुविधा केवल तीन बार उपलब्ध होगी. आवेदन पूरी तरह से भरे जाने के बाद, उम्मीदवारों को डेटा जमा करना चाहिए. इसके बाद, पंजीकरण अंतिम होगा और किसी भी डेटा को बदलने/संपादित करने की अनुमति नहीं होगी. इस स्तर पर पंजीकरण अनन्तिम है.

iv) आवेदन-पत्र में भरे विवरण सही हैं, यह सुनिश्चित करने के बाद आवेदन को स्क्रीन पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार आवेदन-पत्र के साथ समन्वित पेमेंट गेट वे के माध्यम से भुगतान करना होगा.

v) शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से स्क्रीन पर पूछी गई जानकारी प्रस्तुत करने के बाद किया जा सकता है. ऑनलाइन भुगतान के लिए यदि कोई लेनदेन शुल्क हो, तो वह उम्मीदवार को अदा करना होगा.

vi) सफलतापूर्वक भुगतान पूर्ण होने पर, ई-रसीद एवं आवेदन पत्र तैयार होगा, जिसका प्रिंटआउट आवेदक अपने रेकार्ड हेतु लें. **आवेदन का प्रिंटआउट एसबीआई को न भेजें.**

vii) यदि ऑनलाइन लेनदेन सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होता है, तो कृपया पुनः पंजीकरण करें, ऑनलाइन भुगतान करें.

ख) फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करने के लिए दिशानिर्देश:

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अनुलग्नक-I में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को अपनी फोटो और हस्ताक्षर स्कैन (डिजिटल) करने की आवश्यकता होगी. जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, उम्मीदवार द्वारा फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने तक ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं किया जाएगा.

ध्यान दें:

i) यदि फोटो में चेहरा या हस्ताक्षर अस्पष्ट है, तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है.

ii) यदि फोटो में चेहरा या हस्ताक्षर अस्पष्ट है, तो उम्मीदवार अपना आवेदन संपादित कर सकते हैं और अपनी फोटो या हस्ताक्षर फिर से अपलोड कर सकते हैं.

ग) परीक्षा के लिए आमंत्रण पत्र:

उम्मीदवारों को अक्टूबर/ नवंबर 2023 के महीने में संभावित रूप से अपनी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करके बैंक वेबसाइट https://nsdcindia.org/apprenticeship या https://apprenticeshipindia.org या http://bfsissc.com या https://bank.sbi/careers या https://www.sbi.co.in/careers से कॉल लेटर और ''**Acquaint Yourself Booklet**'' को डाउनलोड करना चाहिए.

डाक द्वारा ऑनलाइन लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रण पत्र और अपने आपको परिचित बनाएँ पुस्तिका ("Acquaint yourself booklet") की कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी.

डी) परीक्षा के समय प्रस्तुत किए जाने वाला पहचान पत्र:

उम्मीदवारों को स्कूल या कॉलेज/राजपत्रित अधिकारी द्वारा मूल रूप से जारी किए गए विधिवत प्रमाणित फोटो/पहचान पत्र के साथ पासपोर्ट/आधार/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान पत्र/बैंक पासबुक जैसा फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ-साथ उसकी स्व-प्रमाणित छायाप्रति लाना होगा. परीक्षा हॉल में निरीक्षकों को आमंत्रण पत्र के साथ पहचान पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें विफल रहने पर या उम्मीदवार की पहचान संदिग्ध होने पर उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ई) कदाचार का दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरूद्ध कार्रवाई:

(i) उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें असत्य, बनावटी जाली विवरण नहीं प्रस्तुत करना चाहिए और उन्हें आवेदन पत्र भरते समय किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना नहीं चाहिए.

(ii) परीक्षा के समय, यदि उम्मीदवार को दोषी पाया जाता है (पाया गया है): (i) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के उपयोग का या (ii) छद्म व्यक्ति बनकर छद्म व्यक्ति द्वारा परीक्षा देना (iii) परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करने का या (iv) चयन के लिए अपनी उम्मीदवारीता के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेने का या (v) किन्हीं भी अनुचित साधनों द्वारा अपनी उम्मीदवारी के लिए सहायता प्राप्त करने का, तो ऐसे उम्मीदवार के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही तो होगी ही. साथ ही मुकदमा चलाए जाने का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त अग्रांकित के लिए भी उत्तरदायी होगा:

ए) परीक्षा से अपात्र घोषित किए जाना जिसके लिए वह उम्मीदवार है.

बी) बैंक द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी परीक्षा से, स्थाई रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किए जाने का.

(iii) बैंक द्वारा सदृश्यता के पैटर्न का पता लगाने के लिए परीक्षा में बैठे अन्य उम्मीदवारों के साथ उम्मीदवार के उत्तरों का विश्लेषण किया जाएगा. इस तरह के विश्लेषण के आधार पर, यदि यह पाया जाता है कि उत्तर साझा किए गए हैं और प्राप्तांक वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो बैंक उनकी उम्मीदवारी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

(iv) **मोबाइल फोन, पेजर, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर या ऐसे किसी भी तरह के उपकरणों का उपयोग:**

1) परिसर के अंदर जहाँ परीक्षा आयोजित की जा रही है, मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, पेजर, ईयरफोन या किसी अन्य संचार उपकरण की अनुमति नहीं है. इन निर्देशों का पालन न करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी और भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंध सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

2) उम्मीदवारों को उनके अपने स्वयं के हित में परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर/स्मार्टवॉच सहित किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को न लाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसके सुरक्षित रख रखाव का आंश्वासन नहीं दिया जा सकता.

3) उम्मीदवारों को परीक्षा परिसर में कैलकुलेटर/स्मार्टवॉच/ईयरफोन का उपयोग करने या रखने की अनुमति नहीं है.

एन. घोषणाएँ:

इस प्रक्रिया से संबंधित सभी घोषणाएँ/शुद्धिपत्र समय-समय पर केवल वेबसाइट https://nsdcindia.org/apprenticeship या https://apprenticeshipindia.org या http://bfsissc.com या https://bank.sbi/careers या https://www.sbi.co.in/careers पर प्रकाशित किए जाएंगे/उपलब्ध कराए जाएंगे.

ओ. दावा-परित्याग:

यदि प्रशिक्षु प्रशिक्षण के किसी भी चरण पर यह पता चलता है कि उम्मीदवार द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया गया है और/या कि उसने कोई गलत/मिथ्या जानकारी दी है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य (तथ्यों) को दबाया है, इस प्रक्रिया में अनुचित व्यवहार में संलिप्त रहा है, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी. यदि प्रशिक्षण चयन के बाद भी इनमें से कोई भी त्रुटि का पता चलता है, तो उसका प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जाएगा. **पात्रता, लिखित परीक्षा, अन्य परीक्षाओं के संचालन और चयन से संबंधित सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा. इस संबंध में बैंक द्वारा कोई अभ्यावेदन या पत्राचार विचार नहीं किया जाएगा.**

किसी भी रूप में अनुयाचन अपात्रता होगी

यह विज्ञापन बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi/careers** या **https://www.sbi.co.in/careers** पर उपलब्ध है.

मुंबई - 400021
दिनांकित: 01.09.2023

मुद्रण की त्रुटियाँ यदि हों, तो उसके लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा.
किसी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी में जारी विज्ञापन मान्य होगा.

महाप्रबंधक
(आरपी और पीएम)

दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश:

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को नीचे दिए गए विनिर्देशन के अनुसार अपने फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा की स्कैन (डिजिटल) इमेज रखना आवश्य होगा.

i) फोटो की इमेज: (4.5 से.मी. x 3.5 से.मी.)

- फोटो हाल की पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो होनी चाहिए. **यह सलाह दी जाती है कि उम्मीदवार उसी फोटो की लगभग 8 प्रतियां रखें जो आवेदन के समय अपलोड किया जाता है क्योंकि प्रशिक्षण चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए इनकी आवश्यकता होगी.**
- सुनिश्चित करें कि फोटो रंगीन व हल्के रंग की हो और जहाँ तक हो सके श्वेत पार्श्वभूमि में हो.
- स्वस्थ चित होकर कैमेरे की ओर सीधे देखें.
- यदि फोटो धूप में ली गई है, तो सूर्य आपके पीछे होना चाहिए, या अपने आप को छाया में रखें, जिससे आपका फोटो साफ आये.
- यदि आपको फ्लैश का उपयोग करना है, तो सुनिश्चित करें कि लाल–आँख (रेड आई)न हो.
- यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है और आपकी आँखों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है.
- टोपी, हैट और गहरे रंग के चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं. धार्मिक पगड़ी की अनुमति है, लेकिन उससे आपका चेहरा ढकना नहीं चाहिए.
- आयाम 200 x 230 पिक्सेल (वरीयत:)
- फ़ाइल का आकार 20-50 kb के बीच होना चाहिए
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 50 kb से अधिक न हो. यदि फ़ाइल का आकार 50 kb से अधिक का है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान, स्कैनर की सेटिंग्स समायोजित करें जैसे कि डीपीआई रिज़ॉल्यूशन, रंगों की संख्या, आदि.

ii) हस्ताक्षर की छवि: (काली स्याही से)

- आवेदक को काली स्याही वाली कलम से श्वेत कागज पर हस्ताक्षर करना है.
- आयाम 140 x 60 पिक्सेल (वरीयत:)
- फाइल का साइज 10 - 20 kb के बीच होना चाहिए
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 20 kb से अधिक का न हो

iii) बाएं अंगूठे का निशान:

- आवेदक को एक सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से **अपने बाएं अंगूठे का निशान** लगाना होता है.
- फाइल प्रकार: जेपीजी / जेपीईजी
- फाइल का आकार: 20 kb – 50 kb
- आयाम: 200 डीपीआई में 240 x 240 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए) यानी 3cm × 3cm (चौड़ाई x ऊंचाई).
- बाएं अंगूठे का निशान ठीक से स्कैन किया जाना चाहिए और धुंधला नहीं होना चाहिए. (यदि किसी उम्मीदवार के पास बायां अंगूठा नहीं है तो वह आवेदन करने के लिए अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग कर सकता है.)

iv) हस्तलिखित घोषणा छवि:

- आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही से **अंग्रेजी में घोषणा** स्पष्ट रूप से लिखनी होगी.
- फाइल प्रकार: जेपीजी / जेपीईजी
- फाइल का आकार: 50 kb – 100 kb
- आयाम: 200 डीपीआई में 800 x 400 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए) यानी 10cm × 5cm (चौड़ाई x ऊंचाई).
- हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा केवल आवेदक की होनी चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा.

  हस्तलिखित घोषणा के लिए पाठ इस प्रकार है:

  "I,____(Name of the candidate), Date of Birth ___________hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. The signature, photograph and left thumb impression is of mine". उपर्युक्त उल्लिखित हस्तलिखित घोषणा उम्मीदवार की हस्तलिखित और केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए. यदि यह किसी अन्य द्वारा या किसी अन्य भाषा में लिखा और अपलोड किया गया है, तो आवेदन अमान्य माना जाएगा. (दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के मामले में, जो लिख नहीं सकते, वे घोषणा का पाठ टाइप करवा सकते हैं और टाइप की गई घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगा सकते हैं और विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं.)

नोट:

- **बड़े अक्षरों में (CAPITAL LETTERS)** हस्ताक्षर/हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी.
- सुनिश्चित करें कि फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर अपलोड की गई हो.
- **उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित करें कि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड किया गया है. यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर उचित रूप से अपलोड नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.**
- यदि परीक्षा के समय हस्ताक्षरित उपस्थिति पत्रक या कॉल लेटर पर आवेदक के हस्ताक्षर, अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं, तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.
- फोटोग्राफ में चेहरा या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा अस्पष्ट/ धब्बेदार होने पर उम्मीदवार के आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है.
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर/ बाएं अंगूठे का निशान/ हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के बाद उम्मीदवारों को यह जांच करना चाहिए कि छवियां स्पष्ट हैं और उन्हें सही ढंग से अपलोड किया गया है. यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा प्रमुखता से दिखाई नहीं देती है, तो उम्मीदवार अपने आवेदन को संपादित कर सकता है और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने से पहले अपने फोटोग्राफ या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा फिर से अपलोड कर सकता है.
- उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड की जाने वाली फोटो आवश्यक आकार की हो और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया जाना चाहिए.
- यदि फोटो के स्थान पर फोटो अपलोड नहीं किया गया है तो परीक्षा के लिए प्रवेश अस्वीकार/ इनकार कर दिया जाएगा. उम्मीदवार इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा.
- उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हों.

दस्तावेज़ों को स्कैन करने की प्रक्रिया:

- स्कैनर का रिज़ॉल्यूशन न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें.
- कलर को ट्रू कलर पर सेट करें.
- फ़ाइल का आकार उपर्युक्तानुसार होना चाहिए.
- फोटो/ हस्ताक्षर/ बाएं अंगूठे के निशान/ हस्तलिखित घोषणा के किनारे तक स्कैनर में छवि को क्रॉप करे और उसके बाद अंतिम आकार (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है) तक छवि का क्रॉप करने के लिए अपलोड एडिटर का उपयोग करें.
- इमेज की फ़ाइल जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप की होनी चाहिए. फ़ाइल के नाम का एक उदाहरण है: इमेज01.जेपीजी या इमेज01.जेपीईजी. फ़ोल्डर फ़ाइलों की लिस्टिंग करके या इमेज आइकन पर माउस को ले जाकर छवि के आयाम जाँच की जा सकती है.
- एमएस विंडोज/एमएसऑफिस का उपयोग करने वाले उम्मीदवार एमएस पेंट या एमएसऑफिस पिक्चर मैनेजर का उपयोग करके .jpeg प्रारूप में दस्तावेज़ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. फ़ाइल मेनू में 'Save As' विकल्प का उपयोग करके किसी भी प्रारूप में स्कैन किए गए दस्तावेज़ों को .jpg / .jpeg प्रारूप में सहेजा जा सकता है. आकार को क्रॉप और फिर आकार बदलने के विकल्प का उपयोग करके समायोजित किया जा सकता है.

दस्तावेजों को अपलोड करने की प्रक्रिया:

- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को अपने फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे.
- संबंधित लिंक "Upload Photograph / Signature / Upload left thumb impression / hand written declaration पर क्लिक करें.
- उस स्थान को ब्राउज़ करें और चुनें जहां स्कैन किए गए फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर/ बाएं अंगूठे का निशान/ हस्तलिखित घोषणा फ़ाइल को सहेजा गया है.
- क्लिक से फाइल सिलेक्ट करें.
- 'ओपन/अपलोड' ('Open/Upload') पर क्लिक करें.
- फ़ाइल का आकार और फॉर्मेट निर्धारित रूप में न होने पर एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा.
- अपलोड की गई छवि का प्रीव्यू छवि की गुणवत्ता को देखने में मदद करेगा. अस्पष्ट/धब्बे के मामले में, इससे अपेक्षित स्पष्टता/गुणवत्ता लाकर फिर से अपलोड किया जा सकता है.

जब तक आप अपना फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और निर्दिष्ट के रूप में हस्तलिखित घोषणा अपलोड नहीं करते हैं, तब तक आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं होगा.

अनुलग्नक–II

निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाणपत्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के अंतर्गत आता है, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/सुश्री/श्रीमती .... (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री, का निवासी ....(ग्राम/डाकघर/तहसील/जिला जिला/राज्य), आयु ....वर्ष, एक व्यक्ति के साथ

विकलांगता/स्थिति की प्रकृति), की जांच की है और यह उल्लेख करते हैं कि उसकी कुछ सीमाएं हैं जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता में बाधा डालती हैं. परीक्षा लिखने के लिए उसे स्क्राइब के सहयोग की आवश्यकता होती है.

2. उपरोक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे कि प्रॉस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (नाम निर्दिष्ट करें) का उपयोग करता है जो स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक है.

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ–साथ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और यह तब तक वैध है (यह चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित अधिकतम छह महीने या उससे कम अवधि के लिए वैध है)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
हड्डी का डॉक्टर/ पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोविज्ञानी/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक/विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसे अध्यक्ष द्वारा मनोनीत (यदि कोई)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी................................अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम, मुहर सहित

स्थान: ....

दिनांक: ....

अनुलग्नक–III

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत न शामिल निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति अर्थात 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया वचन पत्र

मैं .... (विकलांगता/स्थिति की प्रकृति) वाला उम्मीदवार ....
जिले में .... (केंद्र का नाम) ....
...., (राज्य का नाम) में .... (परीक्षा का नाम ....
में रोल नंबर .... वाला उम्मीदवार हूं. मेरा/मेरी शैक्षणिक योग्यता है ....

2. मैं एतद्द्वारा उल्लेख करता/करती हूं कि...(स्क्राइब का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी को स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा.

3. मैं एतद्द्वारा वचन देता/देती हूं कि उसकी योग्यता .... है. यदि, बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषित रूप में नहीं है और मेरी योग्यता से परे है. मैं पद या प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा/दूंगी.

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(यदि उम्मीदवार अवयस्क है तो माता–पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान: ....

दिनांक: ....